गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) 1992 और 1993 (30–4–1993 तक) के दौरान दिल्ली में घटी आतंकवादी घटनाओं की संख्या निम्नप्रकार है।

वर्ष	मामलों की संख्या
1992	15
1993	—

वर्ष 1992 में हुए 15 मामलों में 11 व्यक्ति (7 आतंकवादियों सहित) मारे गए ।

दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि उक्त 15 मामलों के अलावा, 1992 और 1993 के दौरान दिल्ली बम विस्फोट के 7 मामले हुए। दिल्ली पुलिस द्वारा अभी तक यह नहीं निर्धारित किया जा सका कि यह गतिविधियां आतंकवादियों द्वारा की गई थी अथवा किसी अन्य द्वारा। इन 7 मामलों में चार व्यक्ति मारे गए।

राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द फाऊंडेशन द्वारा किये गये कार्य

1808. श्री ईश दत्त यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द फाऊंडेशन के क्या कार्य हैं ;

(ख) अयोध्या घटना के बाद इसके द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या फाऊंडेशन ने दंगों के दौरान अनाथ हुए बच्चों की पहचान की हैं; और

(घ) इस फाऊंडेशन द्वारा बच्चों के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) :

(क) से (घ) राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना फाऊंडेशन (रा.सा.स.फा.) के मुख्य कार्य (i) सांप्रदायिक हिंसा के शिकार हुये व्यक्तियों, विशेष रूप से बच्चों की देखभाल, शिक्षा और प्रशिक्षण के विशेष संदर्भ में, का भौतिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास करना ; (ii) सांप्रदायिक सदभावना तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना ; तथा (iii) विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच एकता के सूत्रों को मजबूत बनाना है। तथापि, इसको उपलब्ध सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुये, फाऊंडेशन ने अपनी गतिविधियों को सांप्रदायिक हिंसा के प्रभावित हुये बच्चों को सहायता देने तक सीमित रखा है।

2. फाउंडेशन द्वारा सहायता देने के लिये पात्र बच्चों की पहचान, इस प्रयोजन के लिये गठित जिला/राज्य स्तर की निकायों द्वारा की जाती है। अयोध्या की घटना के बाद फैली सांप्रदायिक हिंसा के संदर्भ में, फाउंडेशन राज्य सरकारों के साथ बच्चों की तेजी से पहचान करने के मामले का सक्रिय रूप से अनुसरण नहीं कर रही है। सहायता देने के लिये अब तक 55 बच्चों–16 दिल्ली में, 19 गुजरात के भड़ौच जिले में तथा 20 बच्चों की आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में पहचान की गई है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार, फाउंडेशन द्वारा दिल्ली में प्रति बच्चा प्रतिमास 425/– रुपये की दर तथा भड़ौच और आदिलाबाद में 375/– रू० प्रतिमास प्रति बच्चे की दर से सहायता स्वीकृत की गई है । इन बच्चों को यह सहायता 18 वर्ष की आयु तक उपलब्ध होगी तथा विशेष मामलों में 21 वर्ष की आयु तक उपलब्ध होगी, जिसका उद्देश्य है कि बच्चा कोई कौशल विकसित कर सके और उसके द्वारा अपनी जीविका अर्जित कर सके।